रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 23 जुलाई, 1998/1 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जुलाई, 1998

सं0 एल0एल0आर0 (राज भाषा) बी0 (16) 26/98.—"दि इंडियन स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1952 (1953 का 4)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के

तारीख 21 जुलाई, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1952

(1953 का 4)

(5 फरवरी, 1953 को राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का संशोधन करने के उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1952 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को, जो राज्य सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, प्रवृत्त होगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (10) में "प्रथम अनुसूची द्वारा" शब्दों के पूर्व, "यथा स्थिति" और उसके पश्चात् और शब्द "अन्यथा" से पूर्व "या अनुसूची 1-क द्वारा" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 में—(1) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस धारा के खण्ड (क), (ख) या (ग) में अथवा अनुसूची-1 में किसी बात के होते हुए भी, और अनुसूची 1-क में अन्तर्विष्ट छूट के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतों पर अनुसूची 1-क में उपदर्शित रकम का शुल्क क्रमश: उचित शुल्क के रूप में प्रभार्य होगा, अर्थात्:—

(कक) अनुसूची 1-क में उल्लिखित प्रत्येक लिखत (जिस पर उस अनुसूची के अधीन शुल्क प्रभार्य है) जो, किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश में निष्पादित की जाती है ;

(खख) अनुसूची 1-क में उल्लिखित प्रत्येक लिखत (जिस पर उस अनुसूची के अधीन शुल्क प्रभार्य है) जो, किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है, हिमाचल प्रदेश से बाहर इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की जाती है और किसी ऐसी सम्पत्ति से जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या किसी ऐसे विषय या बात से जो हिमाचल प्रदेश में है या की जाने वाली है से सम्बन्धित है तथा हिमाचल प्रदेश में प्राप्त की गई है ।"

(2) शब्द "परन्तु " के पश्चात् और शब्द "कोई" के बीच शब्द "यह और भी कि " अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

4. उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में—

(क) शब्द और अंक "अनुसूची–1" के स्थान पर, "अनुसूची 1-क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) शब्दों "एक रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो रुपए" रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

5. उक्त अधिनियम की धारा 6 में—

(1) शब्द और अंक "अनुसूची 1" के पश्चात् और शब्द "के दो" से पूर्व शब्द, अंक और अक्षर "या अनुसूची 1-क" अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(2) परन्तुक में शब्द "एक रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो रुपए" रखे जाएंगे । शब्द "संदत्त किया जा चुका है," के पश्चात् शब्द "जब तक कि यह धारा 6-क के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है," जोड़े जाएंग ।

नई धारा 6-क का जोड़ना ।

6. उक्त अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी:—

"6-क. जब मुख्य या मूल लिखत पर वह शुल्क संदत्त नहीं किया गया है तब प्रतियों, प्रतिलेखों या द्विप्रतीकों पर हिमाचल प्रदेश स्टाम्प शुल्क का संदाय.—

(1) धारा 4 या धारा 6 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जब तक यह प्रमाणित नहीं किया जाता है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन प्रभार्य शुल्क—

(क) यथास्थिति, मुख्य या मूल लिखत पर, या

(ख) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार संदत्त कर दिया गया है, तब तक यदि मुख्य या मूल लिखत जब हिमाचल प्रदेश में प्राप्त होती है तो भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम के अधीन उच्चतर दर से प्रभार्य होती है तो किसी मुख्य लिखत या किसी लिखत के प्रतिलेख, द्विप्रतीक या प्रति पर से भिन्न, विक्रय, बन्धक या व्यवस्थापन के लिखत पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जिससे मुख्य या मूल लिखत धारा 19-क के अधीन प्रभार्य होती ।

(2) धारा 35 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत, प्रतिलेख, द्विप्रतिक, या प्रतिलिपि, साक्ष्य में उचित रूप से स्टाम्पित तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि उस पर इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क संदत्त नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु न्यायालय, जिस के समक्ष ऐसी कोई लिखत, प्रतिलेख, द्विप्रतिक या प्रति प्रस्तुत की जाती है, इस धारा के अधीन, इस पर प्रभार्य शुल्क का संदाय किया जाना अनुज्ञात करेगा और तब इसे साक्ष्य में प्राप्त करेगा ।"

7. उक्त अधिनियम की धारा 19 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 19-क का जोड़ना।

"19-क.–धारा 3 के खण्ड (खख) के अधीन हिमाचल प्रदेश में बढ़ाए गए शुल्क के लिए दायी कुछ लिखतों पर शुल्क का संदाय—

जहां कोई लिखत, भारत के किसी भाग में प्रभार्य बन जाती है और तत्पश्चात् भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा यथा संशोधित धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (खख) के अधीन हिमाचल प्रदेश में शुल्क की उच्चतर दर से प्रभार्य बन जाती है—

(*i*) उक्त परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत पर प्रभार्य शुल्क की रकम, जिसमें से भारत में इस पर पूर्व संदत्त शुल्क की रकम, यदि कोई हो, को कम करके, अनुसूची-1-क के अधीन इस पर प्रभार्य रकम होगी ;

(*ii*) इस पर पहले से ही लगाई गई स्टाम्पों, यदि कोई हों, के अतिरिक्त ऐसी लिखत पर खण्ड (*i*) के अधीन इस पर प्रभार्य शुल्क की रकम के संदाय के लिए, आवश्यक स्टाम्पों से, उसी रीति में और उसी समय और उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्पित की जाएगी मानो ऐसी लिखत, उस समय, जब यह भारत में उच्चतर शुल्क से प्रभार्य बनी प्रथम बार प्राप्त लिखत थी।"

8. उक्त अधिनियम की धारा 23-क की उप-धारा (*i*) में शब्द और अंक "अनुसूची–1" क स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर "अनुसूची 1-क" रखे जाएंगे। धारा 23-क का संशोधन।

9. उक्त अधिनियम की धारा 24 के परन्तुक में शब्द "प्रथम अनुसूची" से पूर्व, "यथास्थिति" तथा उसके पश्चात् "या अनुसूची 1-क" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 24 का संशोधन।

10. उक्त अधिनियम की धारा 32 में— धारा 32 का संशोधन।

(1) परन्तुक के खण्ड (क) में, "किसी ऐसी" शब्दों के पूर्व "भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा यथा-संशोधित धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (खख) के अधीन प्रभार्य लिखत से अन्यथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(2) परन्तुक के खण्ड (ख) के अन्त में आए शब्द "या" का लोप किया जाएगा।

(3) परन्तुक के खण्ड (ग) के पश्चात् "या" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा और निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाएगा:—

(घ) "कोई ऐसी लिखत जो भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा यथा-संशोधित, धारा 3 के प्रथम परन्तुक

के खण्ड (खख) के अधीन शुल्क से प्रभार्य है और जो प्रथम बार उस तारीख से, जब यह हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुई है तीन मास के अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई जाती है ।"

धारा 77 का संशोधन । 11. उक्त अधिनियम की धारा 77 के प्रारम्भ में, निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"धारा 6-क में प्रतियों के लिए अन्तर्विष्ट उपबन्धों के सिवाए," ।

नई अनुसूची 1-क । 12. उक्त अधिनियम की अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची 1—क

** ** ** (अनुसूची 1-क. 1970 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 17 द्वारा प्रतिस्थापित की गई है)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।